

**कार्यालय जनपद न्यायाधीश, हमीरपुर।**


**नीलामी सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये जनपद न्यायालय, हमीरपुर के प्रांगण में नियत स्थान पर फोटो कापी मशीन के कार्य की नीलामी दिनांक 28.03.2026 को समय सायं 4.00 बजे नियत की गयी है। उक्त तिथि के अन्दर इच्छुक व्यक्ति निम्न शर्तों सहित आवेदन पत्र दाखिल करने हेतु दिनांक 28.03.2026 को समय 1.00 बजे अपरान्ह तक प्रस्तुत कर सकते हैं। न्यूनतम बोली मु० 123750/- रु० (एक लाख तेईस हजार सात सौ पचास रुपये) से प्रारम्भ होगी और इस धनराशि से कम की बोली स्वीकार नहीं होगी। प्रत्येक बोलीदाता को जमानत धनराशि के रूप में मु० 10,000/- रुपये (दस हजार रुपये) नीलामी बोली बोलने के पूर्व जमा करनी होगी।

उपरोक्त कार्य के लिये जिस व्यक्ति की बोली अधिक होगी वह स्वीकार की जायेगी तथा उसे सम्पूर्ण धनराशि का 1/4 अग्रिम किस्त के रूप में तुरन्त कार्य आरम्भ करने के पूर्व जमा करना होगा तथा उसे अपने कार्यों का लिखित अनुबन्ध पत्र भी दाखिल करना पड़ेगा। उसके द्वारा जो जमा जमानत धनराशि भी अन्तिम किस्त में समायोजित किया जायेगा। नीलामी स्वीकृति की तारीख से सात दिनों के अन्दर ठेकेदार को अपना हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर ठेके की सम्पूर्ण धनराशि कार्य करने के पूर्व इस कार्यालय में जमा करनी होगी।

फोटोकॉपी मशीन दुकान से सम्बन्धित कार्य करने की अन्य शर्तों की विस्तृत जानकारी नजारत अनुभाग से किसी कार्य दिवस एवं कार्यालय समय पर की जा सकती है।

संलग्नक- नीलामी की शर्तें




नीलामी समिति

जनपद न्यायालय, हमीरपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- ✓ 1. श्रीमान् ओ०एस०डी० (कम्प्यूटर) मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को मा० उच्च न्यायालय की 2 वेबसाइट पर नीलामी सूचना को प्रदर्शित किये जाने के अनुरोध सहित प्रेषित।
- ✓ 2. मा० जनपद न्यायाधीश महोदय, हमीरपुर को सूचनार्थ
- ✓ 3. जनपद न्यायालय, हमीरपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- ✓ 4. कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- ✓ 5. कार्यालय नगर पालिका, हमीरपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
6. कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, हमीरपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
7. जनपद न्यायालय, कानपुर नगर को सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।
8. जनपद न्यायालय, बांदा को सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।
9. जनपद न्यायालय, महोबा को सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।
10. जनपद न्यायालय, जालौन स्थान उरई को सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।
11. जिला सूचना अधिकारी को निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
12. सिस्टम ऑफिसर, जनपद न्यायालय, हमीरपुर को मा० उच्च न्यायालय एवं जनपद न्यायालय, हमीरपुर की वेबसाइट पर सूचना को प्रदर्शित किये जाने हेतु।



नीलामी समिति

जनपद न्यायालय, हमीरपुर।

## नीलामी की शर्तें।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय हमीरपुर के प्रांगण में स्थित फोटोकॉपी मशीन के कार्य की नीलामी हेतु बोली दिनांक 28.03.2026 को समय सायं 4:00 बजे नियत की गयी है। जो न्यायालय भवन के सभा कक्ष में सम्पन्न होगी। सम्बन्धित व्यक्ति जो उक्त ठेके को लेने की रुचि रखता हो उपर्युक्त तिथि एवं स्थान पर उपस्थित होकर नीलामी की बोली में भाग ले सकते हैं।

ठेके की शर्त निम्नलिखित होगी जिन व्यक्तियों पर गत वर्ष/वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-2026 के सम्बंध में कोई शेष धनराशि होगी वह ठेके की बोली में भाग नहीं ले सकते हैं।

- 1 इस ठेके की नीलामी दिनांक 01.04.2026 अथवा स्वीकृति की तिथि से दिनांक 31.03.2027 तक के लिए दी जायेगी।
- 2 दीवानी न्यायालय के अहाते में स्थान की नीलामी जिस स्थान के लिए होना है, वह स्थान पहले से सुनिश्चित है।
- 3 इस ठेके से सम्बन्धित नीलामी कार्यवाही हेतु दिनांक 28.03.2026 को सायं 04:00 बजे नीलामी समिति द्वारा नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
4. नीलामी कार्यवाही उचित रूप से सम्पादित करने हेतु आवेदन करने वाले को नीलामी के समय नीलामी अधिकारी प्रभारी अधिकारी केन्द्रीय नजारत जिला जजी हमीरपुर द्वारा की गयी व्यवस्था तथा शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 5 बोली में भाग लेने वाले व्यक्तियों को जमानत धनराशि मु० 10,000/- रुपये नगद दिनांक 28.03.2026 समय सायं 01:00 बजे से पूर्व इस कार्यालय में दाखिल करनी होगी। छाया प्रति मशीन के कार्य का ठेका दिनांक 01.04.2026 से अथवा नीलामी स्वीकृति की तिथि से दिनांक 31.03.2027 तक के लिये बोली गयी बोली की 1/4 धनराशि अग्रिम किश्त के रूप में तुरन्त कार्य आरम्भ करने के पूर्व जमा करना होगा तथा उसे अपने कार्यों का लिखित अनुबंध पत्र दाखिल करना पड़ेगा। उसके द्वारा जो जमानत धनराशि जमा की जायेगी उसे इस कार्यालय में जमा कर लिया जायेगा तथा उसे अन्तिम किश्त में सामायोजित किया जायेगा तथा शेष व्यक्तियों को जमानत धनराशि नीलामी कार्यवाही समाप्त होने पर सम्बन्धित व्यक्ति को लौटा दी जायेगी।
6. जिस व्यक्ति के हक में ठेका जिला जज द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकार किया जायेगा उसे ठेके के बाबत स्वीकृति की तारीख से सात दिन के अन्दर नियत किश्तों पर एग्रीमेंट बहक राज्य सरकार जिला जज को अपने खर्च पर उस सम्बन्ध में लिखना होगा।
- 7 निविदा स्वीकृत होने पर स्वीकृति की तारीख के 7 दिन के अन्दर ठेकेदार को अपना हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अथवा ऐसा न करने पर ठेके की सम्पूर्ण धनराशि कार्य करने के पूर्व प्रस्तुत करनी होगी।
8. नीलामी को अन्तिम रूप से स्वीकृत करने अथवा न करने का पूर्ण अधिकार माननीय जिला जज को होगा जो बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली को निरस्त कर सकते हैं।
9. यदि ठेकेदार जिसकी बोली जिला जज द्वारा स्वीकृत की गयी है तथा स्वीकृति की सूचना के सात दिन के अन्दर हैसियत प्रमाण पत्र एवं एग्रीमेंट प्रस्तुत नहीं करता है तो जिला जज को यह अधिकार होगा कि उसके नीलामी के समय प्रस्तुत जमानत धनराशि 1/4 अंश जैसा कि जिला जज महोदय अपने विवेक से उचित समझे जब्त कर ले और सम्बन्धित ठेका तुरन्त दुबारा नीलाम करवा दें।
10. छाया प्रति का सामयिक निरीक्षण दीवानी न्यायालय के किसी भी अधिकारी द्वारा कराया जा सकेगा। ठेकेदार सफाई की पूर्ण व्यवस्था स्वयं अपने खर्च पर करेगा। ऐसा न करने की दशा में सम्बन्धित ठेकेदार का ठेका समाप्त करने का अधिकार जिला जज को होगा।
11. किसी आदेश या शर्त के ठेके का उल्लंघन करने पर ठेका काबिल मंसूखी होगा और उससे उत्पन्न नुकसान की पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। ठेकेदार को जल एवं विद्युत चार्ज अलग से देना होगा, जिसे जिला जज महोदय निर्धारित करेंगे।
12. किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के नाम बोली बोलने का अधिकार नहीं होगा न ही कोई ठेका ही मन्जूर किया जायेगा। नीलामी अधिकारी किसी भी बोली बोलने वाले व्यक्ति की शरारत पूर्ण

आचरण पर उसे नीलामी स्थल से बाहर करने को अधिकृत होंगे तथा उसकी जमानत धनराशि जो जमा हैं, जब्त कर लिया जाएगा।

13. ठेकेदार को इस बात की सहमति देनी होगी कि अगर कोई रकम बावत ठेका जो उसके जिम्मे नियत अदायगी की तिथि पर शेष रहे, यह रकम बतौर बकाया राजस्व लगान वसूल की जा सकती है।

14. ठेके की अवधि के समाप्ति के पूर्व यदि किसी शर्त या निश्चित समय पर किश्त न देने के उल्लंघन के कारण यदि ठेका ठेकेदार के विरुद्ध रद्द करा लिया जाता है तो अपनी दुकान का मलवा हटाने का अधिकारी नहीं होगा। वह मलवा जैसा भी हो सरकारी सम्पत्ति हो जायेगी। जिला जज महोदय उन शर्तों के अधीन जिसकी वह उचित समझे उसे मलवा हटाने की अनुमति दे सकते हैं। सरकारी

15. दौरान मियाद ठेका ठेकेदार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरण नहीं करेगा और न ही वह अपने घर के सदस्य या कर्मचारी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को दुकान पर बैठने देगा। इस शर्त के उल्लंघन करने पर यदि जिला जज चाहें तो उसका ठेका तुरन्त समाप्त कर सकते हैं।

16. उपरोक्त शर्तों के अलावा जिला जज को यह अधिकार भी होगा कि ठेके को समुचित ढंग से चलाने के लिए समुचित आदेश ठेकेदार को दें उनके किसी भी आदेश का उल्लंघन ठेके की शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा।

17. उपरोक्त किसी शर्त का उल्लंघन करने पर ठेकेदार का ठेका जिला जज महोदय के विवेक विचार के अनुसार समाप्त किया जा सकता है। उसके इस प्रकार के ठेके की समाप्त के बावत आदेश के फलस्वरूप ठेकेदार जिला जज दीवानी न्यायालय उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध हर्जे या अन्य अनुतोष के बावत दावा करने का अधिकारी नहीं होगा।

18. ठेकेदार छायाप्रति की दुकान से सम्बन्धित छाया प्रति दीवानी न्यायालय के कर्मचारियों को निर्धारित मूल्य पर 15 प्रतिशत की छूट देगा।

U.V. Singh  
25/03/26

अध्यक्ष

नीलामी समिति

जनपद न्यायालय, हमीरपुर।

प्रतिलिपि- माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही (आदेश) हेतु प्रेषित।

U.V. Singh  
25/03/26

अध्यक्ष

नीलामी समिति

जनपद न्यायालय, हमीरपुर।